	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	**Published by Authority**
	अग्रहायण *27, शुक्रवार,* शाके *1942–दिसम्बर 18, 2020* *Agrahayana 27, Friday, Saka 1942-December 18, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर , 2020

जी.एस.आर. 232. :-स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61)की धारा 71 के साथ पठित धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्धन, अधीक्षण करने और व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख-रेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनःएकीकरण के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) ''अधिनियम'' से स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) अभिप्रेत है ;

(ii) ''अपील प्राधिकारी'' से राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(iii) ''केन्द्र'' से अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ओषधि निराव्यसन और पुनर्वास केन्द्र अभिप्रेत है ;

(iv) ''जिला स्तरीय समिति'' से नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(v) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(vi) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;

(vii) ''अनुज्ञप्ति'' से नियम 7 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(viii) ''अनुज्ञापन प्राधिकरण'' से नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन गठित अनुज्ञापन-एवं-रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ix) ''संगठन'' से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई

सोसाइटी, रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास, कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के अधीन निगमित कोई कंपनी, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः निधिबद्ध और प्रबंधित संस्था अभिप्रेत है; और

(x) ''राज्य स्तरीय समिति'' से नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समिति अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

3. राज्य स्तरीय समिति का गठन.- (1) एक राज्य स्तरीय समिति होगी, जो कि निम्नलिखित शासकीय और गैर-शासकीय सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	शासन सचिव, प्रभारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	अध्यक्ष
(ii)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम का न हो।	सदस्य
(iii)	तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम न हो।	सदस्य
(iv)	उच्च शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम का न हो।	सदस्य
(v)	स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम का न हो।	सदस्य
(vi)	बाल अधिकारिता विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम का न हो।	सदस्य
(vii)	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव
(viii)	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का प्रतिनिधि जो उप-सचिव की रैंक से कम का न हो।	सदस्य
(ix)	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सदस्य
(x)	विभागाध्यक्ष, मानसिक अस्पताल, जयपुर	सदस्य
(xi)	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स, जयपुर	सदस्य
(xii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो ख्यातिप्राप्त वकील	सदस्य
(xiii)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, राज्य में निराव्यसन के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(xiv)	सचिव, राजस्थान रेडक्रॉस सोसाइटी	सदस्य
(xv)	समिति किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञ राय समिति को देने के लिए आमंत्रित कर सकेगी जिसको निराव्यसन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो।	सदस्य

(2) राज्य स्तरीय समिति,-

(i) व्यसनियों के उपचार और उनके पुनर्वास के संबंध में पर्यवेक्षणीय, नीति निर्माण और सुकर बनाने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी ;

(ii) केन्द्रों के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्तियां मंजूर करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विरचित करेगी;

(iii) केन्द्रों में या भारत सरकार या किसी कानूनी निकाय या इस समिति द्वारा यथा अधिकथित देखभाल के न्यूनतम मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी;

(iv) केन्द्रों और सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सहयोगात्मक उपचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए सहायता और मार्गदर्शन करेगी;

(v) केन्द्रों में अभिनियोजित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करेगी; और

(vi) व्यसनियों के कल्याण और पुनर्वास के संवर्धन के लिए अन्य किसी गतिविधि का जिम्मा लेगी।

4. निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति राज्य स्तरीय समिति का सदस्य होने या नियुक्त किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह,

(i) ऐसे अपराध के लिए, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है; या

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) विकृतचित्त है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है; या

(iv) केन्द्रीय या राज्य सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

5. गैर-शासकीय सदस्यों की पदावधि.-(1) प्रत्येक गैर-शासकीय सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

(2) कोई गैर-शासकीय सदस्य किसी भी समय राज्य स्तरीय समिति की सदस्यता से अध्यक्ष को त्यागपत्र अग्रेषित कर पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख, जिसको वह स्वीकार किया गया, से प्रभावी होगा।

(3) जहां गैर-शासकीय सदस्य के त्यागपत्र या अन्यथा से रिक्ति उत्पन्न होती है वहां राज्य सरकार उसी प्रवर्ग में से नामनिर्देशन द्वारा रिक्ति भरेगी और इस प्रकार नामनिर्देषित व्यक्ति उस व्यक्ति की शेष पदावधि तक के लिए पद धारित करेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट हुआ है।

(4) जहां किसी गैर-शासकीय सदस्य की पदावधि का अवसान होने वाला है, वहां सरकार ऐसे सदस्य की अवधि के अवसान से तीन माह पूर्व किसी उत्तराधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी किन्तु उत्तराधिकारी उस सदस्य की अवधि के अवसान के पश्चात् ही पद धारण करेगा।

6. **अनुज्ञप्ति की आवश्यकता**.- राजस्थान राज्य में किसी भी केन्द्र को संचालन की अनुज्ञा तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि उसने अनुज्ञापन प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ली हो:

परन्तु जो केन्द्र इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व राज्य में संचालित हैं, उन्हें इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से तीन माह की कालावधि के भीतर-भीतर इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी, जिसमें असफल रहने पर उन्हें संचालन के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

7. **अनुज्ञापन प्राधिकरण**.- (1) एक अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण होगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i)	आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक (लोक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
(iii)	आयुक्त/निदेशक, बाल अधिकार अधिकारिता विभाग	सदस्य
(iv)	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।	सदस्य सचिव

(2) अनुज्ञापन प्राधिकरण के कृत्य निम्नानुसार होंगे:-

(i) केन्द्रों के संचालन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना और अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना;

(ii) केन्द्रों के विरुद्ध और संदिग्ध/अभिकथित अननुज्ञप्त केन्द्रों के भी विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों का अन्वेषण करना;

(iii) केन्द्रों के कृत्यों को मानीटर, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना;

(iv) भारत सरकार, किसी कानूनी निकाय या राज्य स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रों में देख-रेख के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना ;

(v) केन्द्रों को स्थापित करने और उनके क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति द्वारा जारी किये गये मार्गदर्षक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना;

(vi) केन्द्रों का समय-समय पर निरीक्षण करना और इन नियमों, अन्य किसी विधि या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्देश, के अतिक्रमण कि दशा में उनके विरुद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण को सम्मिलित करते हुए दण्डात्मक प्रक्रियाएं आरंभ करना ;

(vii) अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के क्रियान्वयन और अपने कर्तव्यों के निर्वहन तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अभिलक्षित करना; और

(viii) समय-समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में अभिलेख संधारित करना।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकरण निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, अर्थात्:-

(i) किसी केन्द्र की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का आशय रखने वाले संगठन द्वारा दस हजार रुपये की फीस के संदाय के सबूत के साथ प्रारूप-I में एक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा। फीस मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में या अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य किसी रूप में संदत्त की जा सकेगी। प्रारूप-I में किसी आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि संगठन इन

नियमों के अधीन किसी केन्द्र के संचालन के लिए विहित न्यूनतम मानकों का पालन करने में सक्षम है, ऐसी जाँच जो वह उचित समझे, कर सकेगा;

(ii) जाँच के पश्चात् और संगठन की इन नियमों में विहित न्यूनतम मानकों के अनुसार केन्द्र स्थापित करने की क्षमता के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकरण प्रारूप-II में अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा;

(iii) कोई अनुज्ञप्ति, जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए तब तक मान्य रहेगी जब तक वह अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों की अननुपालना और इन नियमों के अधीन विहित न्यूनतम मानकों की पालना नहीं करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा पूर्वतर निलंबित, प्रतिसंहृत या रद्द न कर दी जाये;

(iv) अनुज्ञप्तिधारी, पांच हजार रुपये की फीस के संदाय के सबूत के साथ प्रारूप-III में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। फीस मानदेय ड्राफ्ट के रूप में या अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य किसी भांति संदत्त की जा सकेगी। अनुज्ञापन प्राधिकरण ऐसी जाँच, जो वह उचित समझे, के पश्चात् और इन नियमों में विहित न्यूनतम मानकों को बनाये रखने के बारे में स्वयं का समाधान होने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति को नवीकृत कर सकेगा;

(v) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रों को अनुज्ञप्ति फीस के संदाय से छूट होगी;

(vi) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) या 2017 के उक्त अधिनियम द्वारा निरसित अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जिन मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृहों/अस्पतालों ने अनुज्ञप्ति ले रखी है और व्यसनियों को उपचार और देख-रेख उपलब्ध करवा रहे हैं उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट प्राप्त होगी। तथापि वे अनुज्ञापन प्राधिकरण को राज्य में निराव्यसन के डाटा समेकन के प्रयोजन के लिए निराव्यसन मामलों का डाटा विहित प्रोफार्मा अर्थात् ड्रग एब्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम (डी ए एम एस) में प्रस्तुत करेंगे।

(vii) प्ररूप-**I** में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने पर अनुज्ञापन प्राधिकरण उसे, केन्द्र के रख-रखाव और न्यूनतम मानकों के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर-भीतर जारी कर सकेगा।

8. अपील.- अनुज्ञापन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई संगठन, ऐसी फीस जो राज्य स्तरीय समिति द्वारा अवधारित की जाए, के संदाय के सबूत के साथ, राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रारूप-IV में अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

9. जिला स्तरीय समिति.- (1) एक जिला स्तरीय समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
(ii)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(iii)	पीएमओ/अधीक्षक (अस्पताल/ चिकित्सा महाविद्यालय)	सदस्य
(iv)	सहायक निदेशक, एकीकृत बाल संरक्षण इकाई	सदस्य
(v)	उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(vi)	उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं	सदस्य सचिव

अधिकारिता विभाग

(2) जिला स्तरीय समिति के कृत्य निम्नानुसार होंगेः-

(i) राज्य स्तरीय समिति या अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अनुज्ञप्ति की शर्तो और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जिले में केन्द्रों के कृत्यों को कालिक रूप से मानीटर, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि कोई केन्द्र विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना कृत्य नही कर रहा हो;

(iii) समय-समय पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा विहित प्ररूप में अभिलेख रखना।

10. न्यूनतम मानक.- (1) केन्द्र निम्नलिखित न्यूनतम मानक रखेंगे, अर्थात्:-

क. भौतिक मानकः

(i) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् केन्द्र अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रचालन प्रारंभ करेंगे और अनुज्ञापन प्राधिकरण को प्रचालन प्रारम्भ होने के बारे में सूचित करेंगे।

(ii) अनुज्ञापन प्राधिकरण ऐसे नये केन्द्र का निरीक्षण करवायेगा जो जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

(iii) केन्द्र के पास अपेक्षित संख्या में पलंग होंगे (प्रत्येक मरीज के लिए एक), पर्याप्त वास-सुविधा और पलंगों के बीच उपयुक्त अंतर उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) केन्द्र में पर्याप्त संवातन होगा और भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर हो सकने वाले किसी भी तरह के प्रदूषण से मुक्त होगा।

(v) केन्द्र के पास पेय जल और धुलाई, स्नान और सफाई के प्रयोजनों के लिए प्रवाही जल होगा।

(vi) केन्द्र के पास, सफाई के निबंधनों के अनुसार उपयुक्त स्वच्छता सुविधाएं होंगी और पर्याप्त संख्या में स्नानगृह, शौचालय और सिंक होंगे।

(vii) केन्द्र मरीजों की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए स्वच्छ चादर, बर्तन और वस्तुएं उपलब्ध करवायेगा।

(viii) केन्द्र भर्ती किये गये मरीजों को ताजा, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवायेगा।

(ix) केन्द्र के पास मरीजों के लिए पर्याप्त आमोद-प्रमोद सुविधाएं होंगी।

(x) न्यूनतम पांच व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ स्वागत कक्ष मे, जाँच/रजिस्ट्रीकरण काउंटर/प्रतीक्षा का स्थान होगा।

(xi) व्यक्तिगत परामर्श, समूह रोगोपचार और परिवार परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए लघु कक्ष/कमरा।

(xii) गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मरीजों के अभिलेखों को रखने के लिए स्थान और आसानी से पुनः प्राप्ति के लिए व्यवस्था।

(xiii) संबंधित शैक्षिक सामग्री जैसे पोस्टर्स को केन्द्र में महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना।

(xiv) लोक के लिए देशी भाषा में पुस्तिका, हैंड बिल्स, और अन्य शैक्षिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

(xv) सीसीटीवी कैमरा।

(xvi) भर्ती किये गये मरीजों और स्टाफ के लिए बायो-मेट्रिक उपस्थिति की सुविधा।

(ख) चिकित्सीय मानक:

(i) किसी भी मरीज को, निराव्यसन के उपचार के लिए उसकी स्वीकृति और मनोसामाजिक मध्यक्षेप और प्रतिस्थापन/अनुरक्षण रोगोपचार को सम्मिलित करते हुए उसके लिए उपलब्ध उपचार के विकल्पों को विस्तार से स्पष्ट किये बिना निराविषीकरण करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

(ii) केन्द्र के उपचार प्रोटोकाल में स्थापित और साक्ष्य आधारित चिकित्सा पद्धति और समय-समय पर समर्थित अपहानि न्यूनीकरण पद्धति को सम्मिलित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार, भारतीय मनोविज्ञान सोसाइटी द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जायेगा।

(iii) केन्द्र में नियोजित नर्सिंग और अन्य स्टाफ उनके कार्य की आवश्यकता के अनुसार सम्यक् रूप से अर्हित होंगे और सौंपे गये कार्य को करने में सक्षम होंगे। मूल स्टाफ (चिकित्सक और नर्स) मान्यताप्राप्त संस्था से निराव्यसन उपचार में प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए होंगे।

(iv) केन्द्र का प्रभारी अधिकारी सम्यक् रूप से अर्हित मनोचिकित्सक या निराव्यसन उपचार में तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक (एम.बी.बी.एस.) होगा।

(v) जब कोई एम.बी.बी.एस. चिकित्सक केन्द्र का प्रबंधन करता है तो सप्ताह में एक बार केन्द्र के निरीक्षण के लिए उसकी नामावली में एक मनोचिकित्सक होगा।

(vi) प्रत्येक केन्द्र, यदि आवश्यक हो तो, अंतः रोगियों को सहायता और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इंतजाम को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

(vii) केन्द्र द्वारा मरीजों के लिए पर्याप्त परिवहन/रोगी वाहन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र द्वारा मरीजों/व्यसनियों की दिन-रात लगातार चिकित्सा परिचर्या देख-रेख सुनिश्चित की जायेगी।

(ix) शारीरिक और मनोचिकित्सीय सह-रूग्णता के लिए आवश्यक और उससे संबंधित औषध का पर्याप्त और सुगमता से उपलब्ध स्टाक होगा।

(ग) स्टाफ की आवश्यकताः

(1) निराव्यसन केन्द्र के लिएः

(i) एक अंशकालिक चिकित्सक (दिन के 4 घंटे) जो कि प्राथमिकता के साथ मनोचिकित्सा में एम.डी. हो या मान्यताप्राप्त संस्थान से निराव्यसन उपचार में कम से कम तीन माह का प्रशिक्षण प्राप्त एम.बी.बी.एस. हो। (चिकित्सक-मरीज अनुपात 1:**20**)

(ii) दो सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता जो किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में (अधिमानता से निराव्यसन उपचार में प्रशिक्षित) एम.ए/एम.फिल. हों (सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता- मरीज अनुपात **1:10)**

(iii) दिन-रात लगातार सेवाओं के लिए, चार स्टाफ नर्स, जो बी.एस.सी. नर्सिंग या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ ही मान्यताप्राप्त संस्थान से निराव्यसन उपचार में प्रशिक्षण प्राप्त हों (नर्स-मरीज़ अनुपात **1**:**20)**

(iv) तीन वार्ड परिचारक, जिन्होंने मादक पदार्थ व्यसनियों को संभालने के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण के साथ मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से **10+2**परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को तीन माह के भीतर स्थानीय तौर पर केन्द्र पर उपलब्ध करवाना होगा।

(v) दो सुरक्षा कार्मिक- एक-एक, दिन-रात लगातार।

(vi) दो सफाई कर्मचारी।

(vii) ताजे पौष्टिक भोजन के लिए नियमित व्यवस्था पर दो रसोइये-एवं-सहायक।

(viii) पीयर एजुकेटर (वैकल्पिक)

(2) परामर्श केन्द्र के लिएः

(i) एक परियोजना निदेशक/प्रोग्रामर अधिकारी-एक।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से निराव्यसन उपचार में प्रशिक्षण की अधिमानता के साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में एम.ए. की मूलभूत अर्हता के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता।

(iii) तीन वार्ड परिचारक, जिन्होंने मादक पदार्थ व्यसनियों को संभालने के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण के साथ मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को तीन माह के भीतर स्थानीय तौर पर केन्द्र पर उपलब्ध करवाना होगा।

(iv) दो सुरक्षा गार्ड/चौकीदार।

(v) दो सफाई कर्मचारी।

(vi) पीयर एजुकेटर (वैकल्पिक)।

(vii) ताजे पौष्टिक भोजन के लिए नियमित व्यवस्था पर, दो रसोइये-एवं-सहायक।

घ.सहायक सेवाएंः प्रत्येक केन्द्र निम्नलिखित सहायक सेवाएं उपलब्ध करवायेगाः-

(i) आपातकालीन चिकित्सीय देख-रेख।

(ii) आमोद-प्रमोद/पुनर्वास सुविधा और आउटडोर क्रियाकलाप।

(iii) नियमित दैनिक बाह्य रोगी सेवाएं।

(iv) विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाओं, प्रयोगशाला सेवाओं के लिए रेफरल लिंकेज। एचआईवी/एड्स केन्द्र, आरएनटीसीपी केन्द्र।

(v) लिंकेज क्रियाकलापों और आपातकालीन चिकित्सीय देख-रेख के प्रयोजनार्थ मरीजों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं।

(ङ) अभिलेख रखना, प्रसारः

(i) समस्त केन्द्रों के लिए समस्त मरीजों के व्यक्तिगत और उपचार अभिलेख रखना आज्ञापक होगा ।

(ii) यह अभिलेख गोपनीय होंगे और निवेदन किये जाने पर, केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के विवेकानुसार केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही उपलब्ध होंगे।

(iii) केन्द्र के क्रियाकलापों का समस्त डाटा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित प्रोफार्मा में ड्रग एब्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम (डी ए एम एस) पर राज्य और

राष्ट्रीय डाटा के संकलन और सूचना के प्रयोजन के लिए त्रैमासिक आधार पर निदेशक, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान और निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

11. केन्द्र में प्रवेश.- (1) केन्द्र में प्रवेश, मरीज से जोखिम, लाभ और उपचार के विकल्पों पर चर्चा के पश्चात् लेखबद्ध करके, केवल उसकी सहमति से ही दिया जायेगा। सहमति प्ररूप की प्रतिलिपि मरीज को उपलब्ध करवायी जायेगी। मरीज के पास किसी भी समय उपचार से इंकार करने या उसे रोकने का अधिकार होगा।

(2) राज्य स्तरीय समिति या, यथास्थिति, अनुज्ञापन प्राधिकरण मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित कर सकेगा या ऐसी शर्तें, जो वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक केन्द्र इस प्रभाव का वचनबंध देगा कि वह सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अनुसार भर्ती मरीजों के मानवाधिकारों का संरक्षण करेगा और मरीजों के साथ निम्नलिखित क्रियाकलाप नहीं करेगा जैसे एकांत परिरोध, बलात्श्रम, दंड, पीटना, मानसिक यंत्रणा, जंजीर से बांधना या हवालात में रखना। मरीज़ की स्वतंत्रता का सदैव संरक्षण किया जायेगा। केन्द्र के प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन मरीज को परिवार के साथ व्यक्तिगत बातचीत मंजूर करेंगे और संसूचना उपलब्ध करायेंगे। वे देख-रेख करने वालों और न्यायिक आदेशों के अतिरिक्त मरीज़ के चिकित्सा और परामर्श अभिलेख को गोपनीय रखेंगे।

प्ररूप-I

(नियम **7(3)(i)** देखिए)

अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र

प्रेषक-

.....

.....

प्रेषिति

अनुज्ञापन प्राधिकरण,
अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा),
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, के माध्यम से

महोदय,

विषयः .....में मादक पदार्थ निराव्यसन और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/अनुरक्षण के लिए अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए आवेदन।

हम विनम्र निवेदन करते हैं कि मादक पदार्थ निराव्यसन और पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/अनुरक्षण के लिए हमें ..... में.....की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण जारी करें।

हम अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों में विहित सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आवश्यक फीस के संदाय का सबूत 10,000/- रु. का मांगदेय ड्राफ्ट सं.....दिनांक...../ .....की रसीद संलग्न है।

हम इसके द्वारा यह वचन देते हैं कि हम भर्ती मरीजों के मानवाधिकारों की सुरक्षा करेंगे और एकांत परिरोध, बलात्श्रम, दंड, पीटना, मानसिक यंत्रणा, जंजीर से बांधना या हवालात में रखने जैसे क्रियाकलाप में नहीं लगेंगे जो मरीजों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हों। मरीज की स्वतंत्रता का सदैव संरक्षण किया जायेगा। हम केन्द्र

के प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन मरीज को परिवार के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी मंजूर करेंगे और संसूचना उपलब्ध करायेंगे। हम देख-रेख करने वालों और न्यायिक आदेशों के अतिरिक्त मरीज के चिकित्सा और परामर्श अभिलेख को गोपनीय रखेंगे।

धन्यवाद

भवदीय

नाम सहित हस्ताक्षर
(संगठन का नाम)
के निमित्त और उसकी ओर से

स्थान.....
दिनांक.....

प्ररूप-II

[नियम **7(3)(ii)** देखिए**]**

अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

राजस्थान निराव्यसन केन्द्र नियम, 2019 के अधीन मादक पदार्थ निराव्यसन केन्द्र की आवश्यकताओं से संतुष्ट होने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकरण, इसके द्वारा.....(संगठन का नाम) को.....में मादक पदार्थ निराव्यसन केन्द्र की स्थापना और रखरखाव के लिए, अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण 3 वर्षों के लिए मान्य होगा, प्रारंभ.....से .....के अंत तक।

निराव्यसन केन्द्रों के लिए अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 71 में दी गयी शर्तों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन होगा।

अनुज्ञापन प्राधिकरण के लिए

स्थान .....
दिनांक .....

प्ररूप-III

[नियम **7(3)(iv)** देखिए **]**

अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....
.....
.....

प्रेषिति

अनुज्ञापन प्राधिकरण,
अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा),
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

राजस्थान, के माध्यम से

विषयः अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण सं.....दिनांक..... के नवीकरण के लिए

हम निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण सं.....दिनांक.....का आगामी तीन वर्ष के लिए नवीकरण कर दिया जाये। हम अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट सुविधाओं को उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने यहां.....रु. का मांगदेय ड्राफ्ट/ नवीकरण फीस .....रू मात्र के संदाय की रसीद संलग्न कर दी है।

धन्यवाद।

भवदीय

नाम सहित हस्ताक्षर
(संगठन का नाम)
के निमित्त और उसकी ओर से

स्थान.....
दिनांक.....

प्ररूप-IV

अपील

(नियम 8 देखिए)

प्रेषिति

अध्यक्ष
राज्य स्तरीय समिति
(शासन सचिव, प्रभारी, सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर)

महोदय,

मैं.....(संगठन का नाम).....ने मादक पदार्थ निराव्यसन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था। (आवेदन की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है)। मेरा आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था या उनके आदेश सं.....दिनांक.....द्वारा अनुज्ञप्ति-एवं-रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित कारणों से प्रतिसंहरित, रद्द या निलंबित कर दिया गया है।

1.....
2.....
3.....

(प्रतिलिपि संलग्न)

उपरोक्त कारण विधिमान्य प्रतीत नहीं होते हैं। मैं आपसे अनुज्ञापन प्राधिकरण के उपरोक्त आदेश पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। मेरे न्यायोचित्य निम्नानुसार हैं;

1.....
2.....

3.....

मैं व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए रजामंद हूं। मैं यहां आवश्यक फीस के संदाय का सबूत संलग्न कर रहा हूं।

धन्यवाद।

भवदीय

स्थान.....

दिनांक.....

नाम सहित हस्ताक्षर

(संगठन का नाम)

के निमित्त और उसकी ओर से

[**संख्या एफ.15()एसएस/डीए/एसजेईडी/20**/.....,]

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

गायत्री राठौड़

शासन सचिव।

Social Justice and Empowerment Department

Notification

Jaipur December 18, 2020

G.S.R.232 .-In exercise of the powers conferred by section 78 read with section 71 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985), the State Government hereby makes the following rules for establishment, appointment, maintenance, management, superintendence of centres and for identification, treatment, education, after-care, rehabilitation, social re-integration of addicts, namely:-

1. **Short title and Commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan De-addiction Centres Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Central Act No. 61 of 1985);

(ii) "Appellate Authority" means the Chairperson of the State Level Committee;

(iii) "Centre means drugs de-addiction and rehabilitation centre established under sub-section (1) of section 71 of the Act;

(iv) "District Level Committee" means the Committee constituted under sub-rule (1) of rule 9;

(v) "Form" means form appended to these rules;

(vi) "Government" means the Government of Rajasthan;

(vii) "License" means the License-cum-Registration Certificate issued under rule 7;

(viii) "Licensing Authority" means the Licensing-cum-Registering Authority constituted under sub-rule (1) of rule 7;

(ix) "Organisation" means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860), Rajasthan Societies Registration Act, 1958, registered charitable Trust, a company incorporate under the Companies Act, 1956/2013, institution fully funded and managed by the Central or State Government; and

(x) "State Level Committee" means the State Level Committee constituted under sub-rule (1) of rule 3.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3**. Constitution of State Level Committee.-** (1) There shall be a State Level Committee, comprising of the following officials and non-official members, namely:-

(i) Secretary to the Government in-charge of Social Justice and Empowerment Department	Chairperson
(ii) Representative of the Medical and Health Department, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(iii) Representative of the Technical Education Department, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(iv) Representative of the Higher Education Department, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(v) Representative of the School Education Department, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(vi) Representative of the Child Rights Department, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(vii) Commissioner/ Director, Social Justice and Empowerment Department	Member Secretary
(viii) Representative of the Department of Food and Civil Supply, not below the rank of Deputy Secretary	Member
(ix) Head of Department, Psychiatry Department, SMS Medical College, Jaipur	Member
(x) Head of Department, Mental Hospital, Jodhpur	Member

(xi) Head of Department, Psychiatry Department, RUHS College of Medical Science, Jaipur	Member
(xii) Two lawyers of repute, nominated by the State Government	Member
(xiii)Two representatives of NGO's working in the field of De-addiction in the State, nominated by the State Government	Member
(xiv) Secretary, Rajasthan Red Cross Society	
(xv) The Committee may invite any person who has special knowledge and experience in the field of De-addiction for giving his expert opinion to the Committee.	Member Member

(2) The State Level Committee shall,-

(i) act as supervisory, policy making and facilitatory body with regard to treatment of addicts and their rehabilitation;
(ii) frame guidelines for the licensing authority to grant licences for operation of centres;
(iii) ensure effective implementation of minimum standards of care in centres as laid down by the Government of India or any statutory Body or this Committee;
(iv) help and guide to establish a collaborative treatment network amongst the centres and Government Health Care Facilities;
(v) conduct training programme for personnel deployed in centres; and
(vi) undertake any other activity for the promotion of welfare and rehabilitation of addicts.

4**. Disqualifications.-** A person shall be disqualified, for being appointed as or for being a member of the State Level Committee, if he,

(i) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the Government involves moral turpitude; or
(ii) is an un-discharged insolvent; or
(iii) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
(iv) has been removed or dismissed from the service of the Central or State Government or any body corporate owned or controlled by the Government.

5. **Term of office of non-official members.-** (1) Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date of his nomination and shall be eligible for re-nomination.

(2) A non-official member may at any time resign from membership of the State Level Committee by forwarding letter of resignation to the Chairperson and such resignation shall take effect from the date on which it is accepted.

(3) Where a vacancy occurs by resignation or otherwise of a non-official member, the State Government shall fill the vacancy by nominating from amongst the same category and the person so nominated, shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he has been so nominated.

(4) Where the term of office of any non-official member is about to expire, the Government may nominate a successor three month before the expiry of the terms of such member but the successor shall assume office only after expiry of the term of the member.

6. **Requirement of Licence**.- No centre in the State of Rajasthan shall be allowed to operate, unless it has obtained license from the Licensing Authority:

Provided that the centre**,** which is operating in the State before the commencement of these rules, shall have to obtain a license under these rules within a period of three months from the date of commencement of these rules, failing which, it shall not be allowed to operate.

7. **Licensing Authority.-** (1) There shall be a Licensing-cum-Registration Authority consisting of the following members, namely:-

(i) Commissioner/Director, Social Justice and Empowerment Department, Rajasthan	Chairperson
(ii) Director (Public Health), Medical and Health Department, Rajasthan, Jaipur	Member
(iii)Commissioner/Director, Child Rights Empowerment Department	Member
(iv)Commissioner/Director, Women Empowerment Department	Member
(v) Additional Director (Social Security), Social Justice and Empowerment Department, Rajasthan.	Member Secretary

(2) The functions of the Licensing Authority shall be as under:-

(i) to issue licence and renew the licence for operation of centres;

(ii) to investigate complaints received against centres as also against suspected /alleged unlicensed centres;

(iii) to monitor, supervise and evaluate functioning of centres;

(iv) to ensure minimum standards of care in the centres as per guidelines issued by the Government of India, any statutory body or the State Level Committee, from time to time;

(v) to implement the guidelines issued by the State Level Committee for setting up and functioning of the centres;

(vi) to carry out periodic inspections of the centres and in case of any violation of these rules, any other law or direction issued by the any competent authority, to initiate punitive proceedings against them including suspension or cancellation of the licence;

(vii) to devise its own procedure for discharging its duties and to achieve the objectives and implementing these rules and the provisions of the Act; and

(viii) to maintain record in the Form specified by the State Level Committee, from time to time.

(3) The Licensing Authority shall follow the following procedure, namely:-

(i) an application shall be submitted to the Licensing Authority by the organisation intending to obtain a license for establishment of a centre in Form-I along with proof of payment of fee of rupees ten thousand. Fee may be paid in shape of Demand Draft or any other mode approved by the Licensing Authority. On receipt of an application in Form-I, the Licensing Authority may cause such enquires as it deems fit to ensure that the organisation is capable of adhering to the minimum standards prescribed under these rules for running a centre;

(ii) after enquiry and after satisfying itself about the capability of an organisation for setting up a centre in accordance with the minimum standards prescribed in these rules, the Licensing Authority may issue a licence in Form-II;

(iii) a licence shall be valid for a period of three years from the date of issue unless suspended, revoked or cancelled earlier by the Licensing Authority for non compliance of any of the conditions of licence and non adherence of the minimum standards prescribed under these rules;

(iv) the licensee may apply for renewal of licence in Form-III along with proof of payment of fee of rupees five thousand. Fee may be paid in shape of Demand Draft or any other mode approved by the Licensing Authority. The Licensing Authority after such enquiry as it deems fit and after satisfying itself about the maintenance of minimum standards prescribed in these rules, the Licensing Authority may renew the licence;

(v) the centres established by the Central or State Government shall be exempted from the payment of license fee;

(vi) Psychiatric Nursing Homes/Hospitals which are holding licence under the Mental Healthcare Act, 2017 (Central Act No. 10 of 2017 or Act repealed by the said Act of 2017 and rules made theirunder and are providing treatment and care to addicts shall be exempted from obtaining licence. However, they shall submit data of de-addiction cases in the prescribed Performa i.e. Drug Abuse Monitoring System (DAMS) to the Licensing Authority for the purpose of consolidation of data on de-addiction in the State; and

(vii) on the receipt of application for licence in Form-I the Licensing Authority may issue the same within thirty days of the receipt of reports regarding compliance of the minimum standards and maintenance of centre.

8. **Appeal.-** Any organisation aggrieved from the order of the Licensing Authority may prefer an appeal in From-IV before the Chair-person of the State Level Committee along with the poof of payment of fee as may be determined by the State Level Committee.

9. **District Level Committee.-** (1) There shall be a District Level Committee, comprising of the following members, namely:-

(i) District Collector	Chairperson
(ii) Superintendent of Police	Member
(iii) PMO/Superintendant (Hospital/ Medical Collage)	Member
(iv) Assistant Director, Integrated Child Protection unit	Member

(v)	Deputy Director/ District Education Officer	Member
(vi)	DeputyDirector/Assistant Director, Social justice and Empowerment Department	Member Secretary

(2) The functions of the District Level Committee shall be as under:-

(i) to periodically monitor, supervise and evaluate the functioning of the centres in the district in accordance with the conditions of the licence and guidelines issued by the State Level Committee or Licensing Authority, from time to time.

(ii) to ensure that no centre is functioning without valid licence;

(iii) to maintain the record in the Form prescribed by the State Level Committee, from time to time.

10. **Minimum Standards.-** (1) The centre shall maintain the following minimum standards; namely:-

A. Physical Standards:

(i) The centre after obtaining licence shall start operations within thirty days from the date of issue of license and inform the Licensing Authority about the commencement of its operation.

(ii) The Licensing Authority shall cause an inspection of such new centre to be conducted by the District level Committee.

(iii) The Centre shall have requisite number of beds (one for each patient), adequate accommodation and proper spacing between the beds shall be provided.

(iv) The centre shall have sufficient ventilation and be free from any pollution which may be detrimental to the health of admitted patients.

(v) The centre shall have potable/ drinking water and running water for washing, bathing and cleaning purposes.

(vi) The centre shall have proper sanitation facilities in terms of cleanness and shall have adequate number of bathrooms, toilets and sinks.

(vii) The centre shall provide clean bed linen, utensils and articles for personal hygiene of the patients.

(viii) The centre shall provide fresh, nutritious and adequate meals to the admitted patients.

(ix) The centre shall have adequate recreational facilities for the patients.

(x) Reception enquiry/registration counter/waiting space with seating arrangements for a minimum of five persons.

(xi) Cubicle/room for providing individual counselling, group therapy and family counselling.

(xii) Space to store records of patients to ensure confidentiality and a system of easy retrieval.

(xiii) related educational material such as posters to be prominently displayed at strategic points in the centre.

(xiv) Pamphlets, hand bills and other educational materials in vernacular shall be made freely available for the public.

(xv) CCTV camera

(xvi) Facility for Bio-metric Attendance of staff and admitted patient

B. Medical Standards:

(i) No patient shall be coerced to undergo detoxification treatment without explaining the range of treatment options available to him including substitution/maintenance therapy and Psychosocial interventions and his consent for undergoing treatment for de-addiction.

(ii) Treatment protocol of centre shall follow established and evidence based medical practice and guidelines published by the World Health Organization (WHO), Government of India, and Indian Psychiatric Society (IPS), including the harm minimization practices advocated, from time to time.

(iii) Nursing and other staff employed in the centre shall be duly qualified as per their job requirement, be competent to handle the work assigned to them. The core staff (doctors and nurses) shall have received training in de-addiction treatment from a recognized institution.

(iv) Officer in-charge of a centre shall be duly qualified psychiatrist or doctor (M.B.B.S) with at least three months training in de-addiction treatment.

(v) When an M.B.B.S doctor manages a centre, it shall have a psychiatrist on its roll for visiting the centre at least once in a week.

(vi) Each centre shall display the arrangement on the notice board for providing support and emergency services to the in-patients, if needed.

(vii) Adequate transport/ambulance for patients shall be ensured by the centre.

(viii) Round the clock medical nursing care to the patients/addicts shall be ensured by the centre.

(ix) There shall be adequate and readily available stock of medicines required and related physical and psychiatric co-morbidities.

C. Staff Requirement:

(1) for de-addiction center:

(i) One part-time (4 hours a day) doctor who is MD preferably in Psychiatry, or M.B.B.S with at least three months training in de-addiction treatment from a recognized institution. (Doctor-Patient Ratio 1:20)

(ii) Two Social Workers/Counsellors who are M.Phil./M.A. in psychology, Sociology or social work (preferable with training in de-addiction treatment) from a recognized institution (Social Workers/counsellor-Patient Ratio 1:10)

(iii) Four staff nurses for round the clock services, who are B.Sc . Nursing or Diploma in Nursing with training in de-addiction treatment from a recognized institution (Nurse-Patient Ratio 1:20)

(iv) Three ward attendants who have passed 10+2 examination. from a recognized board or institution with orientation training to handle drug addicts to be provided at the centre locally within three months.

(v) Two security personnel-one each, round the clock.

(vi) Two Safai Karamcharies.

(vii) Two Cook cum Helper on regular arrangement for fresh nutritious food.

(viii) Peer Educators (Optional)

(2) For counseling Centre**:**

(i) One Project Director/Programmer Officer-one.

(ii) Two Social Workers/ Counsellors with basic qualification of M.A. in Psychology, Sociology or Social work preferable with training in de-addiction treatment from a recognized institution.

(iii) Three ward Attendants who have passed 10+2, examination from a recognized board or institution with orientation training to handle druge addiction to be provided at the Centre locally within three months.

(iv) Two security guards/Chowkidars.

(v) Two safai Karamcharies.

(vi) Peer Educators (Optional).

(vii) One Cook cum Helper on regular arrangement for fresh nutritious food.

D. Support Services: Each centre shall provide the following support servicees:-

(i) Emergency medical care.

(ii) Recreation/rehabilitation facility and outdoor activities.

(iii) Regular daily outpatient's services.

(iv) Referral linkage for specialist medical services, laboratory services. HIV/AIDS centres, RNTCP centres.

(v) Adequate transport facilities for patients for the purpose of linkage activities and emergency medical care.

E. Record Maintenance Dissemination:

(i) It shall be mandatory for all the centres to maintain personal and treatment record of all the patients.

(ii) These records shall be confidential and available only to the authorized persons on request with the discretion of officer in-charge of the centre.

(iii) All the data on activities of the centre shall be sent on Drug Abuse Monitoring System (DAMS) in performa developed by the Union Ministry of Health and Family Welfare**,** to the Director Public Health Medical and Health Department, Rajasthan and to the Director, Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare**,** Government of India on the quarterly basis for the purpose of information and compilation of State and National data.

11. Admission to centre.- (1) Admission to the centre shall be made only with consent of the patient, after discussing risks, benefits and alternatives to treatment to be recorded in writing. Copy of the consent Form shall be provided to the patient. The patinet shall have the right to refuse and discontinue treatment at any time.

(2) The State Level Committee or the Licensing Authority, as the case may be, may frame guidelines or impose such conditions as it deems proper.

(3) Each centre shall give an undertaking to the effect that it shall protect the human rights of the admitted patients as per the universal Human Rights and it will not engage in the following activities with the patients i.e. solitary confinement, forced labour, punishment, beating, psychological torture, chaining or locking up. The patient's liberty shall be protected at all times. it shall allow private interaction with family and provide communication to the patient under supervision of the authorized person of Centre. It will ensure confidentiality of medical and counselling records of the patients except caregivers and under judicial orders.

From-I

[See rule 7(3)(i)]

APPLICATION FOR LICENSE-CUM-REGISTRATION

From-

The.....

.....

To

The Licensing Authority,
through
Additional Director (Social Security),
Social Justice and Empowerment Department,
Rajasthan

Sir,

Subject: Application for issue of License-cum-Registration for Establishment/Maintenance of drugs de-addiction and rehabilitation Centre, at.....

We request you kindly to issue us License-cum-Registration for Establishment/Maintenance of drugs de-addiction and rehabilitation Centre, at..... for the period of .....

We are providing the facilities as prescribed in the Act and the rules made thereunder. Proof of payment of require fees is enclosed herewith a Demand Draft for Rs. 10,000 bearing No. .....dated...../ receipt of .....

We hereby give an undertaking that we shall protect the human rights of the admitted patients and shall not engage in the activities adversely affecting the patients such as solitary confinement, forced labour, punishment, beating, psychological torture, chaining or locked up. The patients's liberty shall be protected at all time. We shall allow private interaction with family and provide communication to he patients under supervision of the authorized person of the centre. We shall ensure confidentially of medical and counseling records of the patient, except from the caregivers and under judicial orders.

Thanking you

Yours faithfully,

Signature with name
for and on behalf of
(Name of orgnisation)

Place.....

Dated.....

Form-II

[See rule 7(3)(ii)]

LICENCE-CUM-REGISTRATION CERTIFICATE

The Licensing Authority under the Rajasthan De-addiction Centres Rules, 2019, after satisfying the requirement of the Drug de-addiction centre, hereby grant the License-cum-Registration certificate for establishment and maintenance of drug de-addiction centre at .....to .....(name of organisation)..

The License-cum-Registration shall be valid for a period of 3 years, commencing from .....and ending with .....

The License-cum-Registration shall be subject to the conditions laid down in the section 71 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act and the rules made thereunder for de-addiction centres.

For the Licensing Authority

Place.....
Date.....

Form-III

[See rule 7(3)(iv))]

APPLICATION FOR RENEWAL OF LICENSE-CUM-REGISTRATION

From

.....
.....
.....

To

The Licensing Authority,
through
Additional Director (Social Security),
Social Justice and Empowerment Department,
Rajasthan

Subject: For Renewal of License-cum-Registration No..... dated.....

We request you to kindly renewal my License-cum-Registration No..... Dated ....for the next three years. We are providing the facilities as prescribed under the Act and the rules made thereunder. We have herewith attached a demand draft for Rs...../ Receipt of payment of renewal fees Rs. ..... only.

Thanking You.

Yours faithfully,

Signature with name
for and on behalf of
(Name of orgnisation)

Place.....

Date.....

Form-IV
APPEAL
(See rule 8)

To

Chairperson
State Level Committee
(Secretary to the Government in-charge
of Social Justice and Empowerment Department
Rajasthan Jaipur)

Sir,

I ..... of .....(name of organisation) had applied for a **License-cum-Registration** to establishing a drug de-addiction centre (Copy of application is attached herewith). My application was rejected by the Licensing Authority or **License-cum-Registration** is revoked, canceled or suspended as per its order number ..... Dated ..... with the following reasons.

1. .....
2. .....
3. .....

(Copy enclosed)

The above reason(s) appear(s) to be not valid. I requested you to reconsider the above order of the Licensing Authority. My justification are as under:

1. .....
2. .....
3. .....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary, I am herewith enclosing proof of payment of required fee.

Thanking You.

Your Faithfully

Place.....
Date.....

Signature with name
for and on behalf of
(Name of orgnisation)

[No. : F.15 ( ) SS/DA/SJED/20/.....]
By order and in the name of the Governor.
Gayatri Rathore,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.